न्यायालय, श्री मनीष राय-न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवान ।

परिवाद वाद संख्या-2091/2022

न्यायालय में,

शमशेर अहमद..... परिवादी

बनाम

रुकईया अफजल और अन्य.....अभियुक्तगण

Date	Order with initial of magistrate	Remarks
27.07.23	न्यायालय के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत वाद में प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय को परिवाद पत्र में द. प्र.सं.1973 की धारा 204 के अंतर्गत आदेशिका जारी करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है अथवा धारा 203 के अंतर्गत परिवाद पत्र अस्वीकृत किए जाने योग्य है? अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी शमशेर अहमद के द्वारा अभियुक्तगण जिनका नाम रुकईया अफजल, अफरोज आलम, आफताब आलम, तरन्नुम खातून और नरगिस प्रवीन के विरुद्ध भा.द.वि., 1860 की धाराएं- 380, 352 406 420 323, 341, 304, 506 के अंतर्गत परिवाद संस्थित किया गया है। परिवादी अनुपस्थित है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह परिवाद विगत कई तिथियों से जांच साक्ष्य हेतु निर्धारित है, लेकिन परिवादी द्वारा जांच साक्ष्य अंकित नहीं करवाया जा रहा है और ना ही इस संबंध में कोई पैरवी किया जा रहा है। अभिलेख के आदेश फलक पर दिनांक- 10.11.2022 को शपथ पर बयान परिवादी के द्वारा अंकित करवाया गया है इसके पश्चात् परिवादी को जांच साक्ष्य अंकित कराने हेतु निर्देश के साथ बारह (12) अवसर प्रदान किया गया है। साथ ही साथ अंतिम अवसर भी दिया गया। इसके पश्चात् आज भी परिवादी सहित जांच साक्षी अनुपस्थित हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी को अब इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में इस वाद की कार्यवाही को जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। एतद् द्वारा यह आदेश इसी आलोक में पारित किया जा रहा है। **आदेश** न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सभी तथ्यों के दृष्टिगत यह आदेश देता है कि परिवादी अपने परिवाद-पत्र को स्थापित करने और इसके अग्रिम कार्यवाही के प्रति अनिच्छुक है। इस कारण परिवाद-पत्र को द.प्र.सं., 1973 की धारा 203 के अंतर्गत अस्वीकृत किया जाता है। कार्यालय मूलवाद को अभिलेख की विवरणिका के साथ यथाशीघ्र अभिलेखागार सिवान में प्रविष्ट करायें । 27/07/2023 **(श्री मनीष राय)** **न्यायिक दंडा. प्रथम श्रेणी** **सिवान।**	